

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस	
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

निजी कम्पनियों, निजी निवेशकों एवं साझेदारी फर्मों को व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ
भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कमेटी :-

(i)	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग	अध्यक्ष
(ii)	प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
(iii)	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
(iv)	मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान	सदस्य
(v)	निदेशक स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
(स्वायत्त शासन/नगर निगम/नगर पालिका से संबंधित प्रकरणों के लिये)		
(vi)	वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि	सदस्य
(vii)	संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि	सदस्य
(viii)	संबंधित संयुक्त शासन सचिव, नविवि	सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण से संबंधित प्रकरणों में प्राधिकरण के सचिव एवं निदेशक, नगर नियोजन, नगर सुधार न्यासों से संबंधित प्रकरणों में सचिव, नगर सुधार न्यास एवं नगर नियोजन से संबंधित अधिकारी, नगर निगमों/नगर परिषदों, नगर पालिकाओं के प्रकरणों में उनके मुख्य नगरपालिका अधिकारी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

संबंधित विभागों के सचिव/विभागाध्यक्ष को भी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकेगा।

नोट : भूमि का आकार डी.पी.आर. व विनिवेश के आधार पर तय किया जायेगा। समिति की सिफारिश मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के समक्ष अनुमोदन हेतु रखी जावेगी।

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बार्डलॉज/रेग्युलेशन्स
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशायी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम व पद

कम्पनियों/साझेदारी फर्मों/व्यक्तिगत भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

1. कम्पनी/फर्म/व्यक्ति का नाम
2. आवेदनकर्ता संगठन/व्यक्ति (कम्पनी/फर्म/व्यक्तिगत) किसी एक को टिक करे)
3. आवेदक का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
4. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
5. भूमि आवंटन का उद्देश्य
6. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
7. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
8. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)
9. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
10. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन/पार्टनरशीप डीड
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम व पद

सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र

1. विभाग/संगठन का नाम
2. प्रार्थी का नाम व पदनाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः-
 - i. प्रोजेक्ट के बाबत प्रशासनिक निर्णय की प्रतिः-
 - ii. चाही गई भूमि बाबत विभागीय मानक (Norms):-
 - iii. वित्तीय स्वीकृति/बजट प्रावधान का विवरणः-
 - iv. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम व पद

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को भूमि
आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

1. राजनैतिक दल का नाम
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. राजनैतिक दल को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. भारत निर्वाचन आयोग की मान्यता प्राप्त संबंधी अधिसूचना।
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन्स की प्रति।
 - iii. राजनैतिक दल का भूमि आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - iv. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - v. रूपये 5000/- (पांच हजार रूपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :

स्थान :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम व पद